प्रेस नोट, जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 05.11.2026,

प्रेस नोट दिनांक 05.11.2026
थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।

नौकरी दिलाने का झांसा देकर ₹50,000 की ठगी एवं धोखाधड़ी कर ₹60,000 का फाइनेंस कराने वाले 01 अभियुक्त को थाना आसपुर देवसरा पुलिस ने गिरफ्तार कर एसी, इन्वर्टर व बैटरी बरामद की।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी निवासी ग्राम नेवादा, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के अनुसार दिनांक 23.06.2026 को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पट्टी में उसकी मुलाकात संजय कुमार गौतम निवासी ग्राम महड़ौरा, थाना आसपुर देवसरा से हुई, जिसने बैंक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ₹50,000 की मांग की। दिनांक 24.06.2026 को वादिनी ने उक्त धनराशि संजय को दे दी, जिसके बाद वह उसे रामगंज बाजार स्थित अभय इंटरप्राइजेज दुकान पर मनीष सिंह के पास ले गया। दोनों व्यक्तियों ने नौकरी दिलाने का भरोसा देकर वादिनी के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक एवं हस्ताक्षरयुक्त सादे कागजात प्राप्त कर लिए। दिनांक 28.07.2026 को बजाज फाइनेंस कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा वादिनी को उसके नाम पर इन्वर्टर, बैटरी एवं एसी के लिए ₹60,000 का ऋण कराए जाने की जानकारी दी गई। वादिनी का आरोप है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर ₹50,000 की ठगी एवं धोखाधड़ी कर उसके नाम पर ₹60,000 का फाइनेंस कराया गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-265//2026 धारा 318 (4) बीएनएस बनाम 02 नामजद का अभियुक्त पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के चौकी प्रभारी सैफाबाद उ0नि0 योगेन्द्र सिंह मय उ0नि0 अवधराज यादव व उ0नि0 शिवम त्रिपाठी मय हमराह का0 सर्वेश पटेल, का० शिवशंकर यादव, का० नीरज पटेल, का0 वीरेन्द्र यादव, का0 विनोद सरोज व म० आ0 ममता कुमारी द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-265//2026 धारा 318 (4) बीएनएस थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त, संजय कुमार गौतम पुत्र गोपी निवासी

ग्राम महडौरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 46 वर्ष को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत वाराणसी लखनऊ हाइवे से नगर छतौना रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त संजय कुमार गौतम के कब्जे से 01 अदद बोल्टास ए0सी0 (इनडोर आउटडोर सहित) व 01 अदद इन्वर्टर एवं एक अदद बैटरी बरामद की गयी, उक्त बरामदगी के संबंध में अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
01. संजय कुमार गौतम पुत्र गोपी निवासी ग्राम महडौरा थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 46 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण
चौकी प्रभारी सैफाबाद उ0नि0 योगेन्द्र सिंह मय उ0नि0 अवधराज यादव व उ0नि0 शिवम त्रिपाठी मय हमराह का0 सर्वेश पटेल, का० शिवशंकर यादव, का० नीरज पटेल, का0 वीरेन्द्र यादव, का0 विनोद सरोज व म० आ0 ममता कुमारी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 05.11.2026
थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त,नीरज गौतम को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी निवासी ग्राम अशोकपुर, थाना कोतवाली पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के अनुसार उसकी 19 वर्षीय पुत्री दिनांक 04.11.2026 को सुबह अपने ननिहाल पूरे खिरोधर, पट्टी से स्कूल जाने हेतु निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। वादिनी द्वारा खोजबीन करने पर उसकी पुत्री प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर नीरज गौतम पुत्र पूर्णमासी निवासी अशोकपुर, पट्टी के साथ मिली। वादिनी का आरोप है कि नीरज गौतम उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ

ले गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 458/2026 धारा 87 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थाना पट्टी के उ0नि0 अरूण कुमार मौर्या मय हमराह का0 लालजी द्वारा देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 458/2026 धारा 87 बीएनएस थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त नीरज गौतम पुत्र पूर्णमासी गौतम निवासी ग्राम अशोकपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
01. नीरज गौतम पुत्र पूर्णमासी गौतम निवासी ग्राम अशोकपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण
उ0नि0 अरूण कुमार मौर्या मय हमराह का0 लालजी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक 05.11.2026
थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

फाफामऊ प्रयागराज के व्यापारी से धोखाधड़ी कर रस्क एवं अन्य खाद्य सामग्री प्राप्त करने के प्रकरण में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 401 गत्ता रस्क व 02 बोरी अन्य खाद्य सामग्री बरामद तथा घटना में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप सीज।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी साय जिन गली, प्रसिद्ध का पूरा, फाफामऊ, प्रयागराज के अनुसार वह जीविजो इण्डस्ट्रीज के नाम से टोस्ट एवं रस्क का उत्पादन करते हैं। दिनांक 30.10.2026 को उनके पास मोबाइल नंबर से फोन कर स्वयं को राकेश जायसवाल निवासी अठेहा बाजार बताते हुए रस्क एवं अन्य खाद्य सामग्री का ऑर्डर दिया गया। ऑर्डर के अनुसार वाहन संख्या UP70DT7707 से 400 पेटी छोटा रस्क, 116 पेटी बड़ा रस्क, 10 पेटी खारी एवं 03 बोरी फ्राइम, कुल कीमत ₹92,260 का माल अठेहा बाजार भेजा गया। वहां माल गोदाम में

उतरवाकर ₹2,260 नगद दे दिए गए तथा शेष ₹90,000 ऑनलाइन भुगतान करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं किया गया। बाद में वादी द्वारा गोदाम पहुंचकर जानकारी की गई तो वहां माल नहीं मिला। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 206/2026 धारा 318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री दीपनारायण के नेतृत्व में थाना उदयपुर के उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 अनिल कुमार, का0 रवि कुमार एवं का0 सूरज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त एवं रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खानीपुर में अभियुक्त जंत्री सिंह पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम खानीपुर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को बोलेरो पिकअप संख्या UP33DT7728 के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर के बरामदे से एवं बोलेरो पिकअप से कुल 401 अदद गत्ता रस्क, 01 बोरी JOVIJO Noodle Stick एवं 01 बोरी JOVIJO Katori Tomato Kara बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई तथा वाहन के प्रपत्र उपलब्ध न कराने पर बोलेरो पिकअप संख्या UP33DT7728 को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त जंत्री सिंह ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 30.10.2026 को उसके परिचित विपिन पाण्डेय एवं नितिन पाण्डेय पुत्रगण मुन्ना उर्फ शिवकुमार पाण्डेय निवासी ग्राम कोल बजरडीह, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ ने उसे ग्राम दलापट्टी बुलाया था। दोनों ने बताया कि उन्होंने दो दिन के लिए एक कमरा किराये पर लिया है तथा फाफामऊ के एक व्यापारी से रस्क एवं टोस्ट आदि का माल मंगवाकर बिना भुगतान किए प्राप्त करना है। इसके बाद उसे उक्त माल वहां से हटाना था। अभियुक्त के अनुसार विपिन द्वारा व्यापारी को फोन कर माल का ऑर्डर दिया गया तथा माल आने पर उसे किराये के कमरे में रखवाया गया। अगले दिन विपिन एवं नितिन के कहने पर उसने माल अपनी बोलेरो पिकअप में लोड कर लिया और अपने घर ले आया। अभियुक्त ने बताया कि माल की आगे डिलीवरी के संबंध में विपिन एवं नितिन से कई बार पूछने पर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से भी माल बरामद किया गया। पूछताछ एवं

विवेचना के आधार पर अभियोग में विपिन पाण्डेय एवं नितिन पाण्डेय के नाम भी प्रकाश में आए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
जंत्री सिंह पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम खानीपुर, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
* 401 अदद गत्ता रस्क।
* 01 बोरी JOVIJO Noodle Stick।
* 01 बोरी JOVIJO Katori Tomato Kara।
* घटना में प्रयुक्त 01 अदद बोलेरो पिकअप संख्या UP33DT7728 (धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज)।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित द्विवेदी मय हमराह का0 अनिल कुमार, का0 रवि कुमार एवं का0 सूरज कुमार, थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक 05.11.2026
थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह हे0का0 राजकुमार सिंह एवं का0 अभिषेक यादव द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना लीलापुर पर पंजीकृत अन्तर्गत धारा 64(2)(m)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को शनिदेव मंदिर के पास, ग्राम लक्ष्मणपुर थाना लीलापुर क्षेत्र से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त जुनैद अख्तर राईन पुत्र मो0 हनीफ राईन निवासी ग्राम डीहमेंहदी बाबूगंज, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-जुनैद अख्तर राईन पुत्र मो0 हनीफ राईन निवासी ग्राम डीहमेंहदी बाबूगंज, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह हे0का0 राजकुमार सिंह एवं का0 अभिषेक यादव, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।
प्रेस नोट, दिनांक 05.11.2026
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

भरत मिलाप मेले में अव्यवस्था एवं शांति भंग करने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार, ड्रोन कैमरों से की गई निगरानी; 08 मोटरसाइकिलों का चालान।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार के मार्गदर्शन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशांत राज के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रानीगंज श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम तथा थाना क्षेत्र में आयोजित भरत मिलाप मेले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अभियान चलाया गया। इसी क्रम में दिनांक 04/05.11.2026 की रात्रि में मेला क्षेत्र में अव्यवस्था एवं शांति भंग करने वाले कुल 12 आरोपियों को ड्रोन कैमरों की सहायता से चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया तथा 08 मोटरसाइकिलों का चालान किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु उपजिला मजिस्ट्रेट रानीगंज के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपीगण का विवरण-
1-हुसियाल पुत्र खुर्शीद, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम उडैयाडीह, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।
2-अरबाज पुत्र अनवर, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम उडैयाडीह, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।
3-सोनू कोरी पुत्र हुकुम कोरी, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम जोगापुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।
4-आलोक यादव पुत्र उमाशंकर यादव, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम दादूपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

5-शिवम मिश्रा पुत्र मनोज मिश्रा, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम बभनमई, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
6-अरुण तिवारी पुत्र भानु प्रताप तिवारी, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम कोडर पट्टी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
7-मनोज कुमार पुत्र हरिदयाल गौतम, उम्र करीब 20 वर्ष, निवासी ग्राम आमापुर बेर्रा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
8-नीरज पुत्र राजाराम गौतम, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम दिलीपपुर, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।
9-अंकित सरोज पुत्र शिवकुमार सरोज, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम सन्डौरा, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
10-मोहित कुमार पुत्र समरजीत गौतम, उम्र करीब 18 वर्ष, निवासी ग्राम सहजवार, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
11-जितेन्द्र कुमार पुत्र पन्नालाल गौतम, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम राजापुर महोथरी, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।
12-इन्द्रजीत पुत्र जनकलाल, उम्र करीब 52 वर्ष, निवासी ग्राम भागीपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय, उ0नि0 दुर्गेश कुमार, उ0नि0 श्री भगवान यादव, का0 धीरज कुमार, का0 विकास बाबू, का0 अभिषेक त्रिपाठी, का0 मनोज कुमार, का0 मनीष राय, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।